न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 04/2024

1.सतपाल पुत्र श्री कृष्णलाल पुत्र स्व0 श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ, आयु 34 वर्ष
2.विकास पुत्र श्री हेतराम पुत्र स्व0 श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ, आयु 25 वर्ष जाति जाट, निवासीगण उमेवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट्स

बनाम

1. भूराराम स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ जाति जाट निवासीगण उमेवाला तह0 पीलीबंगा।
2. कृष्णलाल स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ जाति जाट निवासीगण उमेवाला तह0 पीलीबंगा।
3. हेतराम स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ जाति जाट निवासीगण उमेवाला तह0 पीलीबंगा।
4. दौलतराम स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ जाति जाट निवासीगण उमेवाला तह0 पीलीबंगा।
5. विमलादेवी पुत्री स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ धर्मपत्नी श्री आत्मप्रकाश जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. कैलाश पुत्री स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ धर्मपत्नी श्री सुरेन्द्रपाल जाति जाट निवासी 8 के.बी. तहसील व जिला अनूपगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.2024 न्यायालय उपतहसीलदार गोलूवाला मुकदमा इंतकाल प्रकरण संख्या 168 / 2024 शीर्षक "सतपाल बनाम सरकार" जिसकी रूह से अपीलाण्ट के पक्ष में स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ की वसीयत दिनांक 01.02.2023 के आधार पर वसीयती इंतकाल दर्ज न विरास्तन इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये गये। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील

उपस्थितः– 1. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णयः–

दिनांकः–06.09.2024

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के दादा भोमाराम उर्फ भागीरथ की चक 4 यू.एम.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा खाता संख्या 64 / 62 पत्थर नंबर 17/208 मु०नं० (50) किला नंबर 1 से 25 कुल तादादी 6.200 है० तथा चक 6 यू.एम.डब्ल्यू. तहसील पीलीबंगा खाता संख्या 61/66 पत्थ[illegible]3/214 मु०नं० (36) किला नंबर 1 से 25 तादादी 6.325 है0, पत्थर नं0 12/215 मु0नं0 [illegible] 14 से 17, 24, 25 तादादी 2.024 है० कुल तादादी= 8.349 है0 कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी।

स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ व उसकी उक्त पांचो संतानों ने उक्त दोनों चको की भूमि का विभाजन कर लिया तथा न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), पीलीबंगा द्वारा पारित विभाजन की डिक्री में यह भूमि स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ तथा उनकी पांचो संतानों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई तथा स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ को चक 4 यू.एम.डब्ल्यू. में वर्णित 6.200 हैक्टेयर में 1/7 हिस्सा अर्थात् 0.885 हैक्टेयर व चक 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

यू. एम.डब्ल्यू. में वर्णित 8.349 हैक्टेयर में 1/7 हिस्सा अर्थात् 1.192 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ ने विभाजन में प्राप्त उक्त भूमि चक 4 यू.एम.डब्ल्यू. तादादी 0.885 हैक्टेयर व चक 6 यू. एम.डब्ल्यू. तादादी 1.192 हैक्टेयर में से 2–2 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 01.02.2023 को अपीलाण्ट के पक्ष में रोबरू गवाहान निष्पादित कर एवं नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई। स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ का दिनांक 02.02.2023 को देहान्त हो गया। अपीलाण्ट ने इस वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में वसीयती इंतकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 04.01.2024 रेस्पोडेंट संख्या 7 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंट संख्या 7 ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए व वसीयत के अनुप्रमाणक गवाहों के बयान लेने के बावजूद यह अवधारणा पारित करते हुए यह भूमि पैतृक सम्पति है, वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज न कर विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.01.2024 पारित किया है। अपीलाण्ट उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:–

अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट संख्या 7 ने स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ के नाम दर्ज भूमि को पैतृक सम्पति मानने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। प्रश्नगत भूमि भोमाराम उर्फ भागीरथ की एकल खातेदारी थी तथा उक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की भूमि का न्यायालय की डिक्री से स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ व उनकी 6 संतानों के मध्य विभाजन हो चुका था तथा विभाजन उपरांत स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ को विभाजन में प्राप्त भूमि उसकी स्वअर्जित सम्पति की प्रकृति में आ चुकी थी। कानूनन पैतृक सम्पति का विभाजन होने पर Severance of Joint Status समाप्त हो गया था तथा प्रत्येक सदस्य को विभाजन में प्राप्त भूमि कानूनन उसकी स्वअर्जित सम्पति हो चुकी थी तथा स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ को विभाजन की डिक्री के जरिये प्राप्त भूमि कीं वसीयत करने का अधिकार था। उक्त विधिक स्थिति के बावजूद भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत किसी पैतृक सम्पति की वसीयत किये जाने में कोई विधिक वर्जना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ द्वारा निष्पादित वसीयत के सम्यक निष्पादन के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी किये बिना इस वसीयत के आधार पर वसीयती इंतकाल दर्ज नहीं करने का जो कारण "पैतृक सम्पति" होना माना है, वह निष्कर्ष कतई गलत व विधि विरूद्ध है। कानूनन वसीयत की मौजूदगी में विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का आदेश विधि विरूद्ध था। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2024 अपास्त फरमाया जावे तथा स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 01.02.2023 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 7 को आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 06 को सम्मन तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2024 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स सं0 01 ता 06 की अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक अपने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2024 अपास्त फरमाया जावे तथा स्व० श्री भोमाराम उर्फ भागीरथ द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 01.02.2023 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 7 को आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि उप–तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला तह0 पीलीबंगा द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.01.2024 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. अपीलांट्स के दादा भोमाराम उर्फ भागीरथ जाट निवासी वार्ड नं0 4 उमेवाला तह0 पीलीबंगा द्वारा दस्तावेज वसीयतनामा द्वारा अपीलांट सतपाल पुत्र कृष्णलाल व विकास पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी उमेवाला के हक में दिनांक 01.02.2023 को वसीयत की हुई है।
2. न्यायालय उप तहसीलदार गोलूवाला जिला हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2024 मुकदमा नं0 168/2024 अनवानी सतपाल बनाम सरकार द्वारा भोमाराम उर्फ भागीरथ की भूमि का जायज वारिसान के नाम नामान्तकरण करने करने कर निर्णय पारित किया गया है।
3. उक्त भूमि की वसीयतनामा होने के बावजूद वारिसान के नाम नामान्तकरण करने का निर्णय पारित किया गया है।

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार गोलूवाला जिला हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2024 मुकदमा नं0 168/2024 अनवानी सतपाल बनाम सरकार अपास्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार गोलूवाला जिला हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय व नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested